

कार्यालय-निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कमांक :-शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/असंपूमैछा/2020-21/

दिनांक : 31.07.2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक-मुख्यालय)

विषय :- अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु एन.एस.पी पोर्टल पर सत्र 2020-21 लम्बित विद्यालय/संस्थान केवाईसी रजिस्ट्रेशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु एन.एस.पी पोर्टल पर सत्र 2020-21 में गत वर्ष जिन्होंने न केवाईसी प्रमाणीकरण नहीं करवाया है उन समस्त लम्बित विद्यालय/संस्थान को केवाईसी रजिस्ट्रेशन एन.एस.पी पोर्टल पर ऑनलाईन करके संबंधित जिला नोडल अधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय) को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिला नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा।

इस हेतु केवाईसी रजिस्ट्रेशन के लिए युजर मैन्युअल संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य अपने अधिनस्थ समस्त संस्था प्रधान के द्वारा अतिशीघ्र सम्पादित करवाए एवं आपके स्तर पर भी वेरिफिकेशन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

www.rajteachers.com

31.7.2020

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर निवेदन है कि वे अपने अधिनस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों को उक्त कार्यवाही शीघ्र करने हेतु पाबन्द करें।

31.7.2020

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

समस्त पीईईओ (शहरी/ग्रामीण)
जिला झालावाड़।

को निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्र में स्थित वे अधीनस्थ विद्यालय (राजकीय/नीजि) जिनका NSP PORTAL पर रजिस्ट्रेशन है वे दिनांक 10/08/2020 तक शत प्रतिशत Online रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर फॉर्म की हार्ड कॉपी स्थानीय कार्यालय को वेरिफिकेशन हेतु प्रस्तुत करें। विलम्ब की स्थिति में वेरिफिकेशन सम्भव नहीं होगा। विद्यालयों की सूची संलग्न है।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा झालावाड़

संस्थान और संस्थान के नोडल अधिकारियों के पंजीकरण की प्रक्रिया तथा जिला/राज्य नोडल अधिकारियों द्वारा मान्यता प्रदान करना

1. संस्थान पंजीकरण प्रक्रिया

- क) एनएसपी पर पंजीकरण से पहले संस्थान/विद्यालय/आईटीआई के पास एक वैध एआईएसएचई/डीआईएसई/एनसीवीटी/एससीवीटी कोड होना चाहिए। यह जानने के लिए कि संस्थान/विद्यालय/आईटीआई एनएसपी पोर्टल पर पंजीकृत है या नहीं, <https://scholarships.gov.in> पर जाएं और "search Institute/school/ITI" पर क्लिक करें।
- ख) संस्थान/विद्यालय/आईटीआई जिनके पास वैध एआईएसएचई/डीआईएसई/एनसीवीटी/एससीवीटी कोड हैं और एनएसपी पर पंजीकृत नहीं हैं। वे एनएसपी पर दर्ज की गई किसी भी छात्रवृत्ति योजना के जिला या राज्य नोडल अधिकारी से उसे एनएसपी पर डालने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
- ग) जिला या राज्य नोडल अधिकारी एआईएसएचई/डीआईएसई/एनसीवीटी/एससीवीटी कोड पर आधारित संस्थान को ढूँढ़ेंगे। यदि संस्थान पंजीकृत नहीं है, तो नोडल अधिकारी अपेक्षित विवरण उपलब्ध करवा कर उसे लोड करवा सकता है। प्रणाली द्वारा सृजित उपयोगकर्ता प्रमाण और पासवर्ड दिए गए मोबाइल नं० पर भेजा जाएगा।

2. संस्थान का नोडल अधिकारी:-पंजीकरण प्रक्रिया

- क) शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से, प्रथम बार लॉगिन करने वाले संस्थान को अनिवार्य रूप से संस्थान के नोडल अधिकारी का पंजीकरण प्रपत्र भरना होगा।
- ख) संस्थान का नोडल अधिकारी उपयोगकर्ता के प्रमाण का उपयोग करते हुए एनएसपी पर लॉगिन करेगा, तथा उसके विवरण की प्रविष्टि करते हुए और पहचान दस्तावेज को अपलोड करते हुए संस्थान के नोडल अधिकारी के पंजीकरण प्रपत्र को पूरा भरेगा। संस्थान का नोडल अधिकारी प्राप्त हुए ओटीपी का प्रयोग करते हुए प्रपत्र को लॉक करने के पश्चात उसका प्रिंट लेगा, प्रपत्र पर उसका फोटोग्राफ चिपकाएगा, संस्थान के प्रमुख द्वारा उसे सत्यापित (हस्ताक्षर एवं संस्थान की सील/मोहर) कराएगा, वास्तविक फॉर्म को एनएसपी पर दर्ज किसी भी योजना के संबंधित जिला अथवा राज्य नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- ग) जिला अथवा राज्य नोडल अधिकारी वास्तविक फॉर्म तथा सिस्टम में प्रविष्ट किए गए विवरण का सत्यापन करेगा तथा अपने लॉगिन में प्रशासन भाग के अधीन "Verify Institute Registration Form" के विकल्प का उपयोग करते हुए एनएसपी पर संस्थान के नोडल अधिकारी के पंजीकरण प्रपत्र के ब्यौरे को अनुमोदित/अस्वीकृत करेगा। उपयोगकर्ता के प्रमाण तथा नया पासवर्ड संस्थान के नोडल अधिकारी के पंजीकृत मोबाइल नं० पर भेजे जाएंगे। फॉर्म की मूल वास्तविक प्रति जिला अथवा राज्य नोडल अधिकारी के पास रहेगी तथा उसकी छायाप्रति संस्थान के नोडल अधिकारी को भेजी जाएगी जो उसे संस्थान के रिकार्ड में रखेगा।
- घ) संस्थान का नोडल अधिकारी अपने मोबाइल नं० पर प्राप्त नए उपयोगकर्ता के प्रमाण, पासवर्ड तथा ओटीपी का उपयोग करते हुए लॉगिन कर सकता है। संबंधित अधिकारी एनएसपी पर संस्थान के लॉगिन पृष्ठ पर "Forgot Password" पर क्लिक करते हुए पासवर्ड को रीसेट कर सकता है।
- ड) पंजीकरण के मामलों हेतु, जहां संस्थान के पूर्व नोडल अधिकारी को स्थानांतरित कर दिया गया है तथा जिसने नए संस्थान के नोडल अधिकारी को लॉगिन प्रमाण उपलब्ध नहीं कराए हैं, वहां

संस्थान का नया नोडल अधिकारी औपचारिक रूप से जिला अथवा राज्य नोडल अधिकारी को मोबाइल नं० बदलने तथा नए मोबाइल नं० पर लॉगिन प्रमाण भेजने का अनुरोध करेगा। नया नोडल अधिकारी अपने प्रमाण-पत्रों के साथ प्रोफाइल को अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार है।

च) यदि संस्थान के नए नोडल अधिकारी की पूर्व नोडल अधिकारी तक पहुंच है, तो मौजूदा नोडल अधिकारी द्वारा पंजीकृत मोबाइल नं० बदला जा सकता है। सिस्टम पुराने मोबाइल नं० पर आए हुए ओटीपी तथा पंजीकृत किए जाने वाले नए मोबाइल नं० की मांग करता है। मौजूदा नोडल अधिकारी भी नए नोडल अधिकारी के प्रमाण-पत्रों के साथ प्रोफाइल को अद्यतन करने के लिए मुख्यता: जिम्मेदार है।

3. जिला/राज्य/मंत्रालय का नोडल अधिकारी:-संस्थान (संस्थानों) को शामिल करना/सत्यापन

क) जिला/राज्य/मंत्रालय का नोडल अधिकारी अपने प्रोफाइल में प्रशासन भाग के अधीन "Reset Institute Login Password" के विकल्प का उपयोग करते हुए पंजीकृत संस्थान के पासवर्ड को रिसेट करता है। वह संस्थान के नाम अथवा एआईएसएचई/डीआईएसई/एनसीवीटी/एससीवीटी कोड का उपयोग करते हुए संस्थान की खोज करेगा। वह खोज परिणामों में दर्शायी गई सूची में से संस्थान का चयन करेगा तथा "पासवर्ड को रिसेट करें" पर क्लिक करेगा। उसे इस विकल्प के माध्यम से संस्थान के नोडल अधिकारी का मोबाइल नं० बदलने की सुविधा भी प्राप्त है, ताकि वर्तमान अधिकारी के मोबाइल नं० पर ओटीपी प्राप्त हो सके।

ख) जिला/राज्य/मंत्रालय का नोडल अधिकारी अपने प्रोफाइल में प्रशासन भाग के अधीन "Add Institue/School" के विकल्प का उपयोग करते हुए नए संस्थान को शामिल कर सकता है। वह संस्थान के नाम अथवा एआईएसएचई/डीआईएसई/एनसीवीटी/एससीवीटी कोड का उपयोग करते हुए संस्थान की खोज करेगा। यदि संस्थान पहले से पंजीकृत है, तो जिला/राज्य/मंत्रालय का नोडल अधिकारी पासवर्ड को रिसेट कर सकता है। यदि संस्थान पंजीकृत नहीं है, तो वह संस्थान के नोडल अधिकारी का नाम तथा मोबाइल नं० विवरण उपलब्ध कराते हुए संस्थान को पंजीकृत कर सकता है तथा संस्थान के उपयोगकर्ता प्रमाण (User Credentials) सृजित कर सकता है। User Credentials सिस्टम द्वारा जनरेट किए जाएंगे तथा दिए गए मोबाइल नं० पर एसएमएस के तौर पर भेजे जाएंगे। फिर संस्थान का नोडल अधिकारी प्रक्रिया के अनुसार संस्थान के नोडल अधिकारी के पंजीकरण हेतु आगे की कार्रवाई कर सकता है।

ग) जिला/राज्य/मंत्रालय का नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थान के नोडल अधिकारी का पंजीकरण, संस्थान के नोडल अधिकारी द्वारा फोटोग्राफ तथा पहचान प्रमाण के साथ प्रस्तुत संस्थान के प्रमाणित पंजीकरण प्रपत्र का वास्तविक रूप में सत्यापन के पश्चात एनएसपी पोर्टल पर अनुमोदित किया गया हो।